फर्द अहकाम

न्यायालय

बनाम

/20

मुकदमा संख्या /वर्ष :

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
	29/1/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/3/24 को पेश हो।	
	18/3/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/4/24 को पेश हो।	
	29/4/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/5/24 को पेश हो।	
	27/5/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/6/24 को पेश हो।	
	28/10/24	पत्रावली पेश हुई वकील रिस्पोंडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC का वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं कर बहस हेतु निवेदन किया गया। सरकार पैरोकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया कि वाद पत्र राज0 ग्रामदान Act की धारा 46 के तहत वाद पत्र को सुनने का न्यायालय को अधिकारिता नहीं होने से वाद पत्र खारिज किया जावे। अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया कि धारा 53 में न्यायालय को निरस्त करने का अधिकार है। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दु तथ्य एवं विधि का मिश्रित बिन्दु है जिसे साक्ष्य लेकर ही निस्तारित किया जा सकता है। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राज. ग्रामदान अधिनियम की धारा 1971। की धारा 46 के द्वारा शामलाती मुताल्लिके संबंध में राजस्व व अन्य न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन किया हुआ है।	

फर्द अहकाम

रामकरण वनाम मदनलाल वर्मा

न्यायालय का नाम :–उपखण्ड अधिकारी, जोवनेर

केस सं. 307 /2022

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		एवं न्यायालय अधिकारिता का प्रश्न विधि का प्रश्न है न कि तथ्य एवं विधि का मिश्रित बिन्दु है विधि का प्रश्न होने से प्रार्थनापत्र को कि मे वर्णित तथ्यों के संबंध मे साक्ष्य नही की जाकर इसी स्तर पर निर्णय किया जाना है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07R11 (घ) विधि द्वारा वर्जित होने से स्वीकार किया जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी सं 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07R11 व धारा 151 CPC स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरों से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर	